

कार्यालय सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय निगम अण्ड, नगर एवं ग्राम
 नियोजन विभाग, 10000, कर्मागंज इन्डियन सेक्टर, लखनऊ ।

पत्र सं० 2652/भ-उपयोग/लखनऊ/लखनऊ म०यो०/99-2009 दिनांक 9-10-2009

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार (डायरक्टर)
 इन्सीट्यूट ऑफ इन्वियरमेंट
 एंड मैनेजमेंट, जलनापुरी
 कुशी रोड, इन्डियन पीठ के पास
 लखनऊ - 226021

विषय:- लखनऊ विकास क्षेत्र की संशोधित महायोजना-2001 में
 प्रस्तावित भू-उपयोग की सुचना के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 4-10-2009 के संदर्भ
 में संशोधित लखनऊ महायोजना-2001 के आधार पर प्रस्तावित भू-उपयोग
 निम्नवत है :-

क०सं०	ग्राम व तहसील	खसरा सं०	प्रस्तावित भू-उपयोग
	ग्राम - बहादुरपुर	35	आवासीय (R ₂)
	पश्चिमी, तहसील		
	व जिला - लखनऊ		

केवल सूचना नम्बर

महायोजना के अनुसार भू-उपयोग की सुचना इस प्रतिकल्प
 के साथ दी जा रही है कि प्रस्तावित भूमि का भूखण्डों में विभाजन अथवा
 भूमि पर किसी प्रकार का विकास अथवा निर्माण इस क्षेत्र में लागू
 अधिनियम के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण अथवा तक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति
 अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है ।

भवदीया,
 9-10-2009

(के) कैतकी मुखर्जी
 सहयुक्त नियोजक

सहयुक्त नियोजक
 लखनऊ विकास क्षेत्र निगम अण्ड, नगर एवं ग्राम
 नियोजन विभाग, 10000, कर्मागंज इन्डियन सेक्टर, लखनऊ ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सामाजिक नियोजन केंद्र, नगर एवं ग्राम
नियोजन विभाग, 20500, अलीगंज राबिंद्र सेन्टर, लखनऊ ।

पत्र सं० 265 / भू-उपयोग / लखनऊ म० यो० / 99-2000 दिनांक 27-9-2001

सेवा में,

डायरेक्टर, इ-सी ट्यूट ऑफ
इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट
अल्हापुरी, कुशी रोड
गामत्री शक्ति पीठ के पास
लखनऊ - 226021

विषय:- लखनऊ विकास क्षेत्र की संशोधित महायोजना-2001 में
प्रस्तावित भू-उपयोग जो सुचना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 25-9-2001 के संदर्भ
में संशोधित लखनऊ महायोजना-2001 के आधार पर प्रस्तावित भू-उपयोग
निम्नवत है :-

कुशल	ग्राम व तहसील	खसरा सं०	प्रस्तावित भू-उपयोग
	ग्राम - आदिलनगर परगना, तहसील बजिला - लखनऊ	2	आवासीय (R2)

(केवल एक खसरा नम्बर)

महायोजना के अनुसार भू-उपयोग को सुचना इस प्रांतिवन्ध
के साथ दी जा रही है कि प्रस्तावित भूमि का भूखण्डों में विभाजन अथवा
भूमि पर किसी प्रकार का विकास अथवा निर्माण इस क्षेत्र में ... लागू
अधिनियम के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति
अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है ।

भक्त्यो बर,

के.के. मूर्जा
महामुका नियोजक

सहपुत्र नियोजक
लखनऊ सामाजिक नियोजन केंद्र,
अलीगंज राबिंद्र सेन्टर, लखनऊ